Northern Coalfields Limited

A Miniratna Company, An undertaking of Government of India
Head office: Panjreh Bhawan, Morwa , Singrauli-486889,M.P.,India
(Website: www.nclcil.in)

क्रमांक० एनसीएल/मुख्यालय/का०वि०/भर्ती/2022/44 दिनांक: 16.01.2022

अधिसूचना

एनसीएल से सेवानिवृत्त हुए एचईएमएम ऑपरेटर को, अनुबंधित कर्मचारी के रूप में, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी दिशानिर्देश (कार्यालय आदेश क्रमांक: CIL/C-5B/MP&IR/Non-Ex/Guidelines/268 दिनांकित 12.10.2020) के तहत आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क. पद/ न्यूनतम योग्यता/ रिक्तियाँ:

विभिन्न पदों के लिये न्यूनतम योग्यता व रिक्तियाँ तालिका (क) मे दी गयी हैं :

तालिका(क) : तालिका मे वर्णित पद ,न्यूनतम आवश्यक योग्यताएँ एवं रिक्तियाँ।

क्र०	पद नाम	न्यूनतम आवश्यक योग्यता	कुल रिक्तियाँ
1	ड्रैगलाईन ऑपरेटर	**(i)** किसी भारतीय राज्य के मान्यता प्राप्त अधिकृत सेकेंड्री **/** हायर सेकेंड्री बोर्ड से मैट्रिक/ एसएससी/ हाई स्कूल या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण **(ii)** एनसीवीटी/ एससीवीटी सर्टिफिकेट के साथ आईटीआई डीज़ल मेकैनिक/ मोटर मेकैनिक/ फिटर ट्रेड में **(iii)** वैध एचएमवी लाइसेंस – जो किसी भारतीय राज्य के आरटीए/ आरटीओ द्वारा जारी किया गया हो	19
2	डोज़र ऑपरेटर	**(i)** किसी भारतीय राज्य के मान्यता प्राप्त अधिकृत सेकेंड्री **/** हायर सेकेंड्री बोर्ड से मैट्रिक/ एसएससी/ हाई स्कूल या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण **(ii)** वैध एचएमवी लाइसेंस – जो किसी भारतीय राज्य के आरटीए/ आरटीओ द्वारा जारी किया गया हो	16
3	ग्रेडर ऑपरेटर		7
4	सरफेस माईनर ऑपरेटर		27
5	डम्पर ऑपरेटर		184
6	शॉवेल ऑपरेटर		19
7	पे लोडर ऑपरेटर		9
8	क्रेन ऑपरेटर		26

तालिका (ख): तालिका मे वर्णित पद मे रिक्तियों का विभाजन

क्र०.	पद नाम	कुल रिक्तियाँ				
		अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रिमी लेयर)	कुल रिक्तियाँ
1	ड्रैगलाईन ऑपरेटर	12	2	3	2	***19***
2	डोज़र ऑपरेटर	9	2	3	2	***16***

3	ग्रेडर ऑपरेटर	4	1	1	1	***7***
4	सरफेस माईनर ऑपरेटर	14	4	5	4	***27***
5	डम्पर ऑपरेटर	94	27	36	27	***184***
6	शॉवेल ऑपरेटर	12	2	3	2	***19***
7	पे लोडर ऑपरेटर	6	1	1	1	***9***
8	क्रेन ऑपरेटर	15	3	5	3	***26***
	कुल	**166**	**42**	**57**	**42**	***307***

नोट (क):

i. *आवेदन फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31.01.2022*

ii. *रिक्तियो की कुल संख्या एवं आरक्षित रिक्तियाँ अनंतिम हैं एवं वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकती है । विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण, परिणामों को अंतिम रूप देने के समय, आरक्षण के सम्बंध मे भारत सरकार के तात्कालिक मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा ।*

ख. पात्रता मानदंड

i. ऐसे आवेदक जो 31.03.2018 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

ii. अन्य योग्यताएँ एवं पात्रताएँ, कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा जारी दिशानिर्देश (कार्यालय आदेश क्र०:CIL/C-5B/MP & IR/Non-Ex./Guidelines/268 दिनांकित: 12/10/2020) के अनुसार होंगी।

ग. आरक्षण

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) (केंद्रीय सूची) श्रेणियों हेतु आरक्षण भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त नियमों , दिशा निर्देशों, अधिसूचनाओ और इनमे समय-समय पर होने वाले संशोधनो के अनुरूप लागू होगा ।
2. ऐसे आवेदक जो आरक्षित श्रेणियों के लिये आवेदन करना चाहते हैं एवं आरक्षित श्रेणियो के लिये लागू अन्य रियायते चाहते हैं, उन्हे इस तरह के आरक्षण का लाभ उठाने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप मे जारी अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे ।
3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) (केंद्रीय सूची) आवेदक, जो किसी मानक रियायत का लाभ लिये बिना अपनी योग्यता के आधार पर चयनित होंगे उन्हे आरक्षित श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जायेगा । ऐसे आवेदकों को अनारक्षित श्रेणी के लिये अनारक्षित रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा । आरक्षित रिक्तियाँ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) आवेदको द्वारा अलग से भरी जायेंगी ।

घ. चयन मानदंड

1. आवेदक जिस पद से वह सेवानिवृत्त हुआ था, केवल उसी पद के लिए आवेदन कर सकता है । अन्य पदों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. इस अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूर्ण करने वाले आवेदकों का मूल्यांकन विशिष्ट मानकों जैसे कि भौतिकी उपस्थिति, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) एवं अर्जित प्रोत्साहन राशि, सेवानिवृत्ति के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में सेवानिवृत्ति वर्ष को छोड़ कर, के आधार पर किया जाएगा सिवाय उन कर्मचारियों के जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए हैं ।

(i) **भौतिकी उपस्थिति – 15 अंक तीन वर्षों के लिए (5 अंक प्रति वर्ष)**

a) एक वर्ष में 90% से अधिक भौतिकी उपस्थिति – 5 अंक

b) एक वर्ष में 80% से 90% तक भौतिकी उपस्थिति – 3 अंक

c) एक वर्ष में 70% से 80% तक भौतिकी उपस्थिति – 2 अंक

d) एक वर्ष में 70% से कम भौतिकी उपस्थिति – 0 अंक

नोट (ख):

1. *भौतिकी उपस्थिति का अर्थ होगा, सेवानिवृत्त कर्मचारी (आवेदक) द्वारा की गई वास्तविक उपस्थिति, जिसमें कार्य से किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति जैसे चिकित्सीय, अवकाश आदि सम्मिलित नहीं होंगी। हालांकि, कार्य से स्वीकृत 'ऑन-ड्यूटी' के आधार पर पीएमई, वीटीसी, अन्य प्रशिक्षण एवं आधिकारिक दौरे /कंपनी के आयोजनो के लिए ड्यूटी से कार्य-मुक्त सम्मिलित होंगे।*
2. *प्रतिशत की गणना संबंधित खदान के कार्य दिवसों की कुल संख्या, एक वर्ष में रविवार एवं अवकाश सहित, को विभाजक के रूप में लेकर की जाएगी।*

(ii) **वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) - 15 अंक तीन वर्षों के लिए (5 अंक प्रति वर्ष)**

a) एक वर्ष में 'प्रशस्त'/'उत्कृष्ट' कार्य के लिए – 5 अंक

b) एक वर्ष में 'अति उत्तम' कार्य के लिए – 3 अंक

(iii) **अर्जित प्रोत्साहन राशि - 15 अंक तीन वर्षों के लिए (5 अंक प्रति वर्ष)**

a) एक वर्ष में रु 1,80,000.00 अथवा उससे अधिक – 10 अंक

b) एक वर्ष में रु 1,20,000.00 अथवा उससे अधिक एवं 1,80,000.00 से कम – 7 अंक

c) एक वर्ष में रु 60,000.00 अथवा उससे अधिक एवं 1,20,000.00 से कम – 5 अंक

d) एक वर्ष में रु 60,000.00 से कम – 0 अंक

नोट (ग):

a) 'वर्ष' ऊपर उल्लेखित चयन मानदंडों के लिए, वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च माह तक माना जायेगा।

b) भौतिकी उपस्थिति, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) एवं अर्जित प्रोत्साहन राशि का डाटा संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी के आधिकारिक रिकॉर्ड से लिया जायेगा।

(iv) **अन्य चयन/पात्रता मानदंड** अधिसूचना में संदर्भित कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार होंगे।

3. समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों में टाई को हल करने के लिए, एक के बाद एक निम्नलिखित तरीके लागू होंगे:

    i. अर्जित प्रोत्साहन राशि (उच्चतर को प्राथमिकता दी जाएगी)

    ii. एसीआर में प्राप्त अंक (उच्च ग्रेड को प्राथमिकता दी जाएगी)

    iii. जन्म तिथि (छोटी उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी)

    iv. नियुक्ति तिथि (कनिष्ठ को प्राथमिकता दी जाएगी)

4. विभिन्न पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों का अस्थायी मेरिट पैनल, जो कि पात्रता पूर्ण करते हैं, उनके द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम में, निर्धारित विधि के अनुसार टाई को हल करने के उपरांत एवं लागू आरक्षण के अनुसार बनाया जायेगा।

ङ. अनुबंध पत्र, पारिश्रमिक एवं अन्य शर्तें

1. कंपनी की चिकित्सा जांच, कोल इंडिया लिमिटेड के चिकित्सा मानदंड अनुसार, में फिट पाये जाने उपरांत अस्थायी अनुबंध पत्र जारी किया जायेगा।
2. जिन उम्मीदवारों को अस्थायी अनुबंध पत्र जारी किया गया हो, वे पत्र प्राप्ति से सात दिनों के अंदर, समस्त मूल एवं वैध शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो, के साथ रिपोर्ट करेंगे। रेपोर्टिंग के समय, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एचएमवी लाइसेंस वैध होना चाहिए।
3. चयनित उम्मीदवारों का प्रारम्भिक अनुबंध, जॉइनिंग की तिथि से एक वर्ष के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत, 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के लिए होगा। चयनित उम्मीदवारों के अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि में उनके कार्य, चिकित्सा फ़िटनेस, आपसी सहमति, मानदंडो एवं कोल इंडिया लिमिटेड के दिशानिर्देशों, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के अनुसार पुनः एक वर्ष के लिए 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा तक बढ़ाया जा सकता है । किसी भी स्थिति में, अनुबंध अवधि 65 वर्ष की ऊपरी आयु तक सीमित होगी।
4. चयनित पद पर उम्मीदवार का अनुबंध, उसके अनुबंध की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायेगा यदि इस अनुबंध की अवधि को इस अधिसूचना में प्रदान की गयी दूसरी अवधि के लिए बढ़ाया नहीं गया है। अनुबंध की विस्तार की स्थिति में, दूसरे अनुबंध की अवधि की समाप्ति पर अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
5. अनुबंध की अवधि के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार किसी भी तरह से पात्रता मानदंड पूर्ण नहीं करता है, तो उसका अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा
6. पारिश्रमिक, कटौतियां, चिकित्सा सुविधाएं एवं कार्य दिवस, कार्य घंटे, अवकाश, छुट्टियां एवं विश्राम दिवस आदि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी दिशानिर्देश (कार्यालय आदेश क्रमांक: CIL/C-5B/MP&IR/Non-Ex/Guidelines/268 दिनांकित 12.10.2020) के अनुसार होंगे।

च. आवेदकों के लिए सामान्य निर्देश:

1. आवेदन जमा करने से पूर्व, आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह इस अधिसूचना में उल्लिखित समस्त पात्रता मानदंडों एवं अन्य मानकों को पूर्ण करता है। आवेदक आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व, उसमे दी गई जानकारी जैसे जन्म तिथि, जाति श्रेणी, संपर्क विवरण एवं योग्यता आदि की पुष्टि कर ले। मूलभूत विवरण जैसे जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि, जाति आदि को उम्मीदवार के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज विवरण के अनुसार माना जायेगा।
2. पात्रता मानदंड, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, पद पर चयन का तरीका आदि के संबंध में एनसीएल प्रबंधन का निर्णय सभी आवेदकों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। अयोग्य पाये गए आवेदकों के किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. किसी भी श्रेणी के आवेदको के लिए तालिका 'क' में वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट देय नहीं है।

4. आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग – नॉन क्रीमी लेयर) ध्यान पूर्वक भरें।
5. आवेदकों के साथ सभी पत्राचार स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर (जैसा आवश्यक हो) के माध्यम से किया जायेगा एवं सभी सामान्य जानकारी एनसीएल वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जायेगी। आवेदकों को सलाह दी जाति है कि वह अधिक जानकारी के लिए एनसीएल वेबसाइट (www.nclcil.in) नियमित रूप से देखें।
6. किसी भी कारण से, निर्धारित अंतिम तिथि के अंदर आवेदन न जमा कर पाने वाले आवेदकों के लिए, एनसीएल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. चयनित उम्मीदवारों को एनसीएल की किसी भी खदान में पदस्थ किया जा सकता है एवं अनुबंध अवधि के दौरान एनसीएल की अन्य खदानों में स्थानांतरित किया जा सकता है।
8. चयनित होने पर जॉइनिंग के लिए किसी भी प्रकार का टीए/डीए देय नहीं होगा।
9. एनसीएल प्रबंधन बिना कोई कारण बताए, अनुबंध की प्रक्रिया को संशोधित/ बदलने/ प्रतिबंधित/ बढ़ाने/ रद्द करने एवं रिक्तियों की संख्या को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एनसीएल प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा एवं इस संबंध में किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. किसी भी विवाद के लिए न्यायालय का क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, म.प्र.होगा।

छ. आवेदन कैसे करें:

1. इच्छुक आवेदक, आवेदन पत्र में निर्दिष्ट समस्त विवरण ध्यान पूर्वक भर कर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व जमा करेंगे-
   i. संबन्धित क्षेत्र/इकाई के स्टाफ अधिकारी(कार्मिक) के कार्यालय में हस्तगत, जहां से आवेदक सेवानिवृत्त हुआ था।
   ii. संबन्धित क्षेत्र/इकाई के स्टाफ अधिकारी(कार्मिक) के कार्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा।
   iii. rectt.ncl@coalindia.in पर मेल द्वारा।
   अंतिम तिथि से पूर्व।

ज. महत्वपूर्ण तिथियाँ:

आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभ तिथि	16.01.2022
आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि	31.01.2022

संपर्क सूत्र: कार्यालय समय -सुबह 09:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)
दोपहर के भोजन का समय छोड़कर (दोपहर 01:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक)
सुबह 09:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक (शनिवार)
कार्यालय रविवार को बंद रहेगा

लैंडलाइन फोन नंबर: 07805-226573 / आप हमें rectt.ncl@coalindia.in पर भी लिख सकते हैं।

महाप्रबंधक (कार्मिक), एनसीएल

NorthernCoalfieldsLimited

A Miniratna Company, An undertaking of Government of India

Head Office : Panjreh Bhawan, Morwa, Singrauli - 486889, M.P., India

Application form for the post of HEMM Operator of superannuated employees of NCL as per guidelines issued by CIL vide OO no. CIL/C-5B/MP & IR/Non-Ex/Guidelines/268 dt 12.10.2020.

Self-attested

Photograph

1. Name of the applicant (in capital letters) : ....
   आवेदक का नाम (बड़े अक्षरो मे)
2. Father's name : ....
   (पिता का नाम)
3. Date of birth (DD/MM/YYYY) : ....
   (जन्म तिथि)
4. Employee number : ....
   (कर्मी संख्या)
5. Designation & Grade (at the time of superannuation) : ....
   (सेवानिवृत्ति के समय पद व ग्रेड)
6. Date of appointment : ....
   (नियुक्ति तिथि)
7. Date of superannuation : ....
   (सेवानिवृत्ति की तिथि)
8. Name of the Area/Unit from where superannuated: ....
   (क्षेत्र/इकाई जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं)
9. Caste Category (General/OBC-(NCL)/SC/ST) : ....
   श्रेणी (सामान्य/ अन्य पिछडा वर्ग/ अनूसूचित जाति/ अनूसूचित जनजाति)
   (Attach self-attested copy of caste certificates if belonging to OBC-(NCL)/SC/ST)
   (अन्य पिछडा वर्ग/ अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति श्रेणी के आवेदक स्व: अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
10. Post applied for : ....
    (पद जिसके लिये आवेदन किया गया है)
11. Mobile no.: ....
    (मोबाइल न०)
12. E-mail ID (Optional): ....
    (ई-मेल) (वैकल्पिक)
13. Current Address : ....
    (वर्तमान पता)

Signature of the Applicant (आवेदक के हस्ताक्षर)

[illegible]

www.coalindia.in

(A MAHARATNA COMPANY)
A Govt. of India Enterprise
"Coal Bhawan"
Premises No. 04, MAR Plot No. AF-III
Action Area-1A, New Town, Rajarhat
Kolkata-700156 (West Bengal)
Phone: 033 2324 6536
Fax: 033 2324 6527
Website: www.coalindia.in

क्रमांक: CIL/C-5B/MP & IR/Non-Ex./Guidelines/268

दिनांक: 12.10.2020

कार्यालय आदेश

विषय: Guidelines for availing the services of superannuated Non-Executive Cadre Employees who worked in Statutory/Essential/Critical Nature of Job

The Committee of Functional Directors of CIL in their 240th meeting held on 16.09.2020 at Kolkata accorded approval of guidelines for availing the services of superannuated Non-Executive Cadre Employees who worked in Statutory/Essential/Critical Nature of Job.

The above guidelines are enclosed herewith for information and necessary action.

This issues with approval of the Competent Authority.

Encl: As above

(अजय कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक (श्रमशक्ति एवं औसंबंध)

प्रतिलिपि (ई मेल द्वारा) :-

1. Director (Technical)/Director (P & IR)/Director (Finance)/ Director (Marketing), CIL
2. Chairman-cum-Managing Director- ECL/BCCL/CCL/WCL/SECL/NCL/MCL/CMPDIL
3. CVO, CIL
4. Director (Personnel)- ECL/BCCL/CCL/WCL/SECL/NCL/MCL
5. Director (T/CRD), CMPDIL
6. General Manager/TS to Chairman, CIL, Kolkata
7. General Manager, NEC, Margherita
8. GM (P/EE)/GM (P/Rectt.)/GM (P/PC)/GM (P/Welfare)/GM (Legal), CIL
9. HOD (System), CIL with a request to upload the Office Order on the website of CIL
10. Dy. Manager (MP & IR), CIL

Some of the subsidiaries of CIL have been raising concerns about shortage of statutory/essential/critical manpower needed for achievement of Production targets etc.

In order to meet such urgent need, the following guidelines may be followed by Subsidiaries for availing the services of retired Non-Executive Cadre Employees: -

1. Requirement of Statutory/essential/critical manpower may be filled through following modes: -
    a) Redeployment of Surplus Manpower due to mine closure and other activities
    b) External Recruitment
    c) Outsourcing through open tender and engagement through contractual agencies
2. In case the requirement is still not fulfilled, **Retired Non-Executive Cadre employees possessing relevant experience, qualification and certification may be engaged on fixed term contract of 1 Year** as per following guidelines: -

A. Eligibility: -

a) Retired Non-Executive Cadre employees with excellent professional record in following designations may be considered for engagement: -

    i. Paramedical Posts
    ii. HEMM Operators
    iii. Electrical Supervisors

Note: For inclusion of any other post, prior approval of Chairman, CIL will be required

b) Non-Executive Cadre employees separated on the following grounds **may not be considered for such engagement**: -

    i. Due to resignation/termination/dismissal
    ii. On Medical Grounds
    iii. Due to VRS/SFVRS

c) The no. of such retired Non-Executive Cadre employees engaged as per this guideline must not exceed 0.25% of the sanctioned Manpower Budget in the respective subsidiary or 50 whichever is less.

d) **Past record of service for eligibility: -**

The retired Non-Executive Cadre employee during his/her last 3 years of service before retirement; -

    i. Must not have been awarded punishment due to disciplinary action
    ii. Must have Annual Confidential Rating not below ***"Very Good"***
    iii. Must not have unauthorized absence of more than 10 days
    iv. Must have got Vigilance, Departmental and Safety Clearances at the time of superannuation, as per applicability

e) During the entire period of such fixed term contract, the age of Non-Executive Cadre employee **should not be of more than 65 Years.**

f) The engagement, as per the guideline shall be for maximum two terms whether in one or more spells for any retired Non-Executive Cadre employee.

g) The retired employee must possess the necessary educational qualification and statutory certificates valid throughout the duration of the contract.

B. Process: -

Before engagement, the selected retired Non-Executive Cadre employee may have to undergo Medical Examination (i.e. IME) by a Medical Board constituted for the purpose. Only after declaration of being medically fit to perform the duty, the retired employee may be engaged.

C. Remuneration: -

a) The selected retired Non-Executive Cadre employees may be paid **a consolidated remuneration of 50% of their last drawn Wages** (i.e. Basic + VDA + SDA) rounded off to next Rs. 10/- **on monthly Basis**, throughout the period of such engagement.

b) The retired Non-Executive Cadre employees so engaged shall not be entitled to any of the benefits extended to regular Non-Executive Cadre employees of the company governed under the provisions of the Wage Agreements, including the following: -

  i. Attendance Bonus
  ii. HRA
  iii. PLR/Bonus
  iv. Overtime Allowance
  v. Charge Allowance
  vi. Medical Allowance, if any
  vii. CMPF/CMPS
  viii. Gratuity
  ix. Leave Encashment
  x. Any other allowance applicable for regular employees of the Company

D. Deduction: -

a) **3% of the consolidated remuneration** may be recovered on monthly basis, as **security deposit**, which after completion/foreclosure of the contract period shall be refunded without interest

b) 2% of the consolidated remuneration, in case of company provided accommodation, may be recovered

c) Electricity bill and other charges, as applicable, shall be recovered as per the policy of the company applicable to the existing employees of the company.

a) Retired Non-Executive Cadre employees so engaged may be allowed to avail the Medical facility as available in the Hospitals/Dispensaries of CIL/Subsidiaries

b) In case of injury arising out of and during the course of duty, they shall be allowed treatment, as available, at the Company's Hospitals. During the period of treatment in such an event, the engaged retired employee may be treated on duty for the purpose of payment of monthly remuneration.

c) In case of death or permanent disablement due to injuries arising out of and in case course of duty, the retired Non-Executive Cadre employees so engaged or his/her eligible dependents will be eligible for compensation as per Employees Compensation Act, 1923 and Ex-gratia of Rs. 15 Lakh (or amount so revised in future), in case of fatal mine accident as certified by DGMS. However, no employment to the dependent of deceased/disabled retired employee so engaged shall be provided.

F. Working Days, Hours and Leave & Holidays & Rest Days:

The retired Non-Executive Cadre employees engaged:

i. Shall have to work for 6 (six) days a week
ii. Could be engaged in shift-duty or on Sundays/Paid Holidays as per the requirement
iii. Shall be provided a weekly day of rest which may not be Sunday or weekly off day of the Unit
iv. Shall be allowed a compensatory day of rest in case of engagement on Weekly Day of Rest/Paid Holiday
v. Shall be entitled to Paid Holidays as per the approved list of holidays of the establishment
vi. Shall be granted 15 days of Annual Leave with Wages. The above leave shall be inclusive of leave on Medical Grounds or any other type of leave as applicable.

G. Reservation Policy: -

Reservation shall be provided as per the statute.

H. Other Conditions: -

i. Conditions of unbecoming of a Public Servant, as applicable to the on-roll employees, shall be applicable on retired employees so engaged as per the scheme too.

ii. The contract may be foreclosed by both the parties, either by giving a notice of 1 month or payment in lieu thereof without giving any reason whatsoever

I. Clarification:

The power to provide clarification on the guidelines is reserved with the Director (P & IR), CIL and his/ her interpretation will be final.

J. Savings:

The CMD of the Company reserves the right to relax, alter, amend or withdraw partly or fully any of the provisions of the scheme at his/ her discretion or on administrative grounds in the interest of the Company.

....